षोडश बिहार विधान सभा

नवम् सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-06.03.2018 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री श्याम रजक, स०वि०स० श्री विनोद प्रसाद यादव, स०वि०स० श्री अरूण कुमार सिन्हा, स०वि०स० श्री रामसेवक सिंह, स०वि०स० श्री रत्नेश सादा, स०वि०स० श्री सुबोध राय, स०वि०स०	"बिहार के अन्य विश्वविद्यालय सहित पटना विश्वविद्यालय के मास्टर ऑफ एडुकेशन (एम०एड०) कोर्स के सत्र 2016-17 के पचास सीटों के लिए ली गई प्रवेश परीक्षा में मात्र दो अनुसूचित जाति के छात्रों का चयन हुआ क्योंकि अनुसूचित जाति के छात्र न्यूनतम निर्धारित अंक, 50 प्रतिशत नहीं प्राप्त कर सके । अनुसूचित जाति के खाली छः सीटों पर सामान्य वर्ग के छात्रों का नामांकन कर लिया गया । इस परीक्षा में सभी वर्ग के परीक्षार्थियों के लिए 50 प्रतिशत क्वालिफाईंग मार्क्स लाना अनिवार्य था । आरक्षित वर्गों के छात्रों को क्वालिफाईंग मार्क्स में रियायत नहीं दी गई । क्वालिफाईंग मार्क्स एक समान रखना और खाली आरक्षित सीटों पर सामान्य वर्ग के छात्रों का नामांकन कर लिया जाना आरक्षण का घोर उल्लंघन है । अतएव बिहार के अन्य विश्वविद्यालय सहित पटना विश्वविद्यालय के एम०एड० कोर्स की नियमावली में संशोधन कर अनुसूचित जाति सहित सभी आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए क्वालिफाईंग मार्क्स कम करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	शिक्षा

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव, स०वि०स० श्री भोला यादव, स०वि०स० श्री समीर कुमार महासेठ, स०वि०स० श्री राजेन्द्र कुमार, स०वि०स०	"राज्य में बालू की किल्लत से जहाँ विकास कार्य ठप है, वहीं मजदूर व कामगारों के मूल रोजगार खत्म हो जाने से उनके परिवारों पर भूखमरी छा गया है । विगत् वर्ष के अनुपात में खनन एवं भूतत्व विभाग के राजस्व में लगभग 30% की गिरावट दर्ज की गई है । कई जिलों में बालू उठाव के लिए मिलने वाले सरकारी चलान भी सरकार द्वारा बन्द कर दिया गया है । आम जनता को ऊँचे कीमत पर कठिनाई से बालू उपलब्ध हो रहा है । अतः मजदूरों के बेरोजगारी, आम जनता को ऊँचे दर पर बालू उपलब्ध होने एवं सरकारी राजस्व में कमी होने की ओर हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	खान एवं भूतत्व

राम श्रेष्ठ राय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या–ध्या०प्र०–4/18– 915-925 / वि०स०, पटना, दिनांक– 05 मार्च, 2018 ई० ।

प्रतिः– बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / शिक्षा विभाग तथा खान एवं भूतत्व विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रदीप कुमार राय
05.03.2018
(प्रदीप कुमार राय)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या–ध्या०प्र०–4/18– 915-925 / वि०स०, पटना, दिनांक– 05 मार्च, 2018 ई० ।

प्रतिः– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रदीप कुमार राय
05.03.2018
(प्रदीप कुमार राय)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

5/3/2018